न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

...ल प्र.सं. : 25/2025   सीसीएमएस 2025/002061

...लदीप सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति ब्राह्मण सिख साकिन 10 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—वादी

बनाम

अमरीक सिहं पुत्र श्री अवतार सिंह जाति ब्राह्मण सिख साकिन 10 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

जीत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति ब्राह्मण सिख साकिन 10 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।   —अप्रार्थी

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53—88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

...त अधिवक्ता:—

श्री गुरबक्श सिंह वादी अधि.।

श्री महेन्द्र सिहं प्रतिवादीगण अधि.।

राजपैरोकार सरकार।

——निर्णय——

दिनांक 09.07.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1—2 के नाम चक 20 एन पी तहसील रायसिहंनगर के खाता संख्या 4/4 के प.न. 177/319 के मु. नं. 30 के कि.नं. 14 से 16 सालम—सालम नहरी, 17/1 में 0.025 है. 25/ में 0.228 है. कुल 1.012है.नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.नं. 18/1 में 0.051, 19/.253, 20/.253, 21/0.228 , 22 में 0.228, कुल 1.013 है0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 2.025 है. नहरी भूमि खातेदारी है। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं. 1—2 का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा है , जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1—2 उक्त मुश्तरका खाता की भूमि का घरू बंटवारा किया हुआ है। घरेलू बंटवारा के अनुसार वादी के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता सं. 4/4 का प.न. 177/319 मु. न. 30 के कि.न. 14/.253, 16/0.034है. 17/1 में 0.025 है. 25 में 0.025 है. कुल 0.337है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 20/0.169, 21/0.169, कुल 0.338 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 0.675 है. नहरी भूमि आंई है ओर इसी भूमि पर काब्जि काश्त हूँ। वादी व प्रतिवादी सं. 1—2 उक्त भूमि में घरू बंटवारा के अनुसार काब्जि चले आ रहे है। उक्त भूमि मुश्तरका खाते में होने के कारण लगान इत्यादि भरने एवं गिरदावरी करवाने तथा केन्द्र सरकार से दी जाने वाली सुविधाओं का ना तो उपयोग कर सकता हूँ ओर ना ही उन योजनाओं का लाभ ले सकता हैं । वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 1—2 विधिवत् बंटवारा करने हेतु कहा तो आज कल कहकर लम्बे समय से टालन्—मटोल करते रहे [illegible] की प्रतिवादीगण स्पष्टतया: विधिवत् बंटवारा करने से इन्कार हो [illegible] बिनाए मुखास्मत है ओर बिनाय दावा मुझ वादी को उक्त भूमि अपने हिस्से [illegible] अनुसार खातेदार होने के रोज से है ओर अपने हिस्से व कब्जे के [illegible] बंटवारा करने का अधिकारी हूँ। प्रतिवादी [illegible] आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी हूँ कि मेरे हिस्सा व कब्जा की भूमि में किसी तरीके से अन्तरण करने से बाज व ममनू रहे। मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें । राजस्थान राज्य भूमि का मालिक होने के कारण को आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:28:48 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार बनाया गया। अतः वादी का वाद–पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमि वाके चक 20 एन पी के खाता सं. 4/4 का प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 14/.253, 16/0.034है. 17/1 में 0.025 है. 25 में 0.025 है. कुल 0.337है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 20/0.169, 21/0.169, कुल 0.338 है. नहरी इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 0.675 है. नहरी भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रतिवादी सं. 3 को दिए जावे। वाद पत्र की मद सं. 4 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 को घरू बंटवारा के अनुसार कब्जा काश्त की भूमि वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 कि.न. 15/0.127, 16/0.109, 25/0.101है. कुल 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 18/1 में 0.051, 19/0.156, 22/0.131, कुल 0.338 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 0.675 है.नहरी भूमि एवं प्रतिवादी सं. 2 को इसी चक के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.126 , 16/0.110, 25/0.102, कुल 0.338है. ,नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 19/0.097, 20/0.084, 21/0.059, 22/0.097, कुल 0.337 है. इस प्रकार दोनों मुरब्बों में 0.675है. नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु आदेश दिये जावे। तथा प्रतिवादी सं. 1–2 मुझ वादी की कब्जा काश्त की भूमि जो मद सं. क में दर्ज है मेरी काश्त व सिंचाई में बेजा दखलन्दाजी ना करे मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे ओर वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को रहन, बैय या किसी अन्य को अन्तरण करने से बाज व ममनु रहे इस आशय की प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे। अन्य अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण पारित किया जावे।

2. वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स. 1–2 की ओर से श्री महेन्द्र सिहं अधिवक्ता हाजिर होकर जबाव दावा प्रस्तुत किया कि वादी का वाद–पत्र डिकी किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी सं. 3 ने जवाब स्टेट प्रस्तुत किया। अपने जबाव में कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। इसी दोरान पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 10.06.2025 को प्रस्तुत हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने राजीनामा के अनुसार वादी का वाद–पत्र डिकी कर दिया जावे तो किसी पक्षकारान को कोई एतराज नहीं है। पक्षकारान के मध्य राजीनामा दिनांक 10.06.2025 के अनुसार वादी कुलदीप सिहं पुत्र श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4/4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 कि.न. 14/0.253, 16/0.034, 17/1 में 0.025,व 25/0.025है. कुल 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 20 में 0.169, 21/0.169, कुल 0.338 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 0.675 है.नहरी भूमि तथा प्रतिवादी सं. 1 अमरीक [illegible] श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4 [illegible] के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.127, 16/0.109, व 25/0.101 कुल 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 18/1 में 0.051, 19/0.156, 22/0.131 कुल 0.338है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 0.675 है. नहरी भूमि तथा प्रतिवादी सं. 2 जीतसिहं पुत्र श्री अतवार सिह के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.126 , 16/0.110 , व 25/0.102 , कुल 0.338 है.नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 19/0.097, 20/0.084, 21/0.059 है. व 22/0.097 कुल 0.337

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

है. नहरी भूमि इस प्रकार कुल 0.675 है. नहरी भूमि आई है। इसी अनुसार भूमि पर काब्जि काश्त है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किये जावे।

उक्त राजीनामा दिनांक 10.06.2025 पर किसी भी पक्षकारान के अधिवक्तागण को एतराज नहीं किया। इसी अनुसार वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद–पत्र बरूवे राजीनामा दिनांक 10.06.2025 के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

उक्त विवेचेन के आधार पर वादी का वाद–पत्र बरूवे राजीनामा दिनांक 06.2025 के अनुसार निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि:– **वादी कुलदीप सिहं** श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4/4 के प.न. 1/319 मु.न. 30 कि.न. 14/0.253, 16/0.034, 17/1 में 0.025,व 25/0.025है. व 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 20 में 0.169, 21/ 69, कुल 0.338 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 0.675 है.नहरी मे।

तेवादी स. 1 अमरीक सिहं पुत्र श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी खाता नं. 4/4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.127, 16/0.109, व 2/0.101 कुल 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 18/1 0.051, 19/0.156, 22/0.131 कुल 0.338है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में ल 0.675 है. नहरी भूमि।

तेवादी सं. 2 जीत सिहं पुत्र श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के ाता नं. 4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.126, 16/0.110, व 25/0. 02, कुल 0.338 है.नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 19/0.097, 0/0.084, 21/0.059 है. व 22/0.097 कुल 0.337 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनो रब्बों में कुल 0.675 है. नहरी भूमि।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल –दरामद किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प ्युटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायसिहंनगर को भेजवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमेइबतदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)
C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायसिंहनगर
बईजलास सुभाषचन्द (आर.ए.एस.)

मैनुअल प्र.सं. : 25/2025 जीसीएमएस : 2025/002061

1.कुलदीप सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति ब्राहम्ण सिख साकिन 10 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

—:वादी

बनाम

1.अमरीक सिहं पुत्र श्री अवतार सिंह जाति ब्राहम्ण सिख साकिन 10 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

2.जीत सिंह पुत्र श्री अवतार सिंह जाति ब्राहम्ण सिख साकिन 10 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।

3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—निर्णय—

दिनांक 09.07.2025

वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि–वादी के अधिवक्ता श्री गुरबक्स सिहं प्रतिवादीगण अधिवक्ता महेन्द्र सिहं की उपस्थिति में राजीनामा दिनांक 10.06.2025 निम्नानुसार डिकी दी जाती है कि :–

वादी कुलदीप सिहं पुत्र श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4/4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 कि.न. 14/0.253, 16/0.034, 17/1 में 0.025,व 25/0.025है, कुल 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 20 में 0.169, 21/0.169, कुल 0.338 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनो मुरब्बों में कुल 0.675 है.नहरी भूमि।

प्रतिवादी स. 1 अमरीक सिहं पुत्र श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4/4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.127, 16/0.109, व 25/0.101 कुल 0.337 है. नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 18/1 में 0.051, 19/0.156, 22/0.131 कुल 0.338है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 0.675 है. नहरी भूमि।

प्रतिवादी सं. 2 जीत सिहं पुत्र श्री अवतार सिहं के हिस्सा में वाके चक 20 एन पी के खाता नं. 4/4 के प.न. 177/319 मु.न. 30 के कि.न. 15/0.126 , 16/0.110 , व 25/0.102 , कुल 0.338 है.नहरी भूमि व प.न. 179/319 मु.न. 32 के कि.न. 19/0.097 , 20/0.084, 21/0.059 है. व 22/0.097 कुल 0.337 है. नहरी भूमि इस प्रकार दोनों मुरब्बा में कुल 0.675 है. नहरी भूमि।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल –दरामद किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायसिहंनगर को भिजवाई जावे।

डिक्री आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्पड्यूटी	235/–	7.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		8.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प...............	10	9.प्लीडर की फीस	
रूपयेपरप्लीडर की फीस		10.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
4.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		11.आदेशिका की तामील	
5.कमिश्नर की फीस		12.कमिश्नर की फीस	
6.आदेशिका की तामील			
जोड़	245/–	जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:48 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner